Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 24-08-2005

Participants : Bhargav Shri Girdhari Lal

>

Title : Need to amend the rules governing pension for widows and senior citizens.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, मेरा छोटा सा निवेदन है कि अभी महिला बिल आज पास किया गया है। बड़ा भारी उसका विस्तार है और पता नहीं उसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं और अब बिल पास होने के बाद उसके परिणाम देश के सामने आएंगे। मेरा निवेदन इतना ही है कि जो विधवाएं हैं, उन्हें 200 रुपए प्रतिमाह मिलती है। महंगाई को देखते हुए यह रकम बहुत ही कम है। इसके साथ ही जब महिलाओं का कार्ड बना है और उसके ऊपर फोटो भी लगी है, तो प्रत्येक तीन मास के बाद उसे यह प्रमाणित करना पड़ता है कि वह महिला अभी तक जीवित है। जब उसका कार्ड है, उसकी शक्ल मौजूद है, कार्ड पर फोटो मौजूद है, फिर किस बात के लिए जीवित होने का प्रमाणपत्र ? कार्ड पर उसकी स्वयं की फोटो लगी होती है। इसके साथ ही उस महिला को, जो 80 वर्ा की हो गई होगी, यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उसने दूसरी शादी नहीं की है। ये दोनों आवश्यकताएं स्वतंत्र भारत के लिए वांछनीय नहीं हैं। यह तो अंग्रेजों के वक्त का नियम था। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन दकियानूसी नियमों को बदला जाए।

सभापति जी, जब वह मौजूद है, उसका कार्ड मौजूद है, कार्ड पर फोटो मौजूद है, तब यह पूछना कि वह जिन्दा भी है कि नहीं और दूसरी शादी की है या नहीं, इन दोनों बातों को हटाया जाए और 200 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से नहीं, पूरे भारतर्वा में जो विधवा महिलाएं हैं, जब आप महिला कल्याण का बिल लेकर आए हैं, तो प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि 200 रुपए में तो जहर भी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से विधवाओं की पेंशन के संबंध में निवेदन है कि दोनों नियमों को निरस्त किया जाए और पेंशन की रकम 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए जिससे महिलाओं का भला हो सके और वे जीवित रह सकें, वरना 200 रुपए में तो कुछ भी काम नहीं हो सकता।